रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78

REGISTERED NO. D-(D)-78

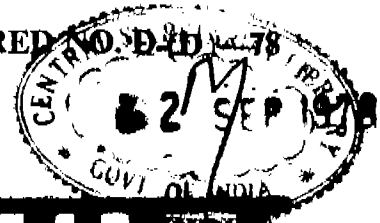

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 12, 1978 (श्रावण 21, 1900)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 12, 1978 (SARVANA 21, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	659
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1063
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	9
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	767
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1769
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2207
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	181
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4511
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	575
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	119
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1409
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	135

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	659
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1063
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	9
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	767
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1769
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2207
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	181
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	4511
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	575
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	119
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1409
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	135

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अगस्त, 1978

नियम

सं० 5/52/78-के० से० (1)—निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा ग्रेड-1/ग्रेड 'ख' आशुलिपिक को चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1978 में ली जाने वाली सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्व साधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग–I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग–II

भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख" के सामान्य संवर्ग का (समेकित ग्रेड- II तथा III)

वर्ग–III

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग-IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "ख"

वर्ग–V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा "ख" के उप संवर्ग का ग्रेड I

वर्ग-VI

समस्त सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "ख"

वर्ग-VII

रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "ख"

वर्ग-VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित अनुसूचित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है:—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 संविधान (अनुसूचित जन जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, [अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां सूचियां (आशोधन) आदेश 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1960 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित] संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1963, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 संविधान (गोआ, दमन और दीयू) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 संविधान (गोआ दमन और दियू) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. (क) नीचे कालम 1 में उल्लिखित स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त ग्रेडों और सेवा के अस्थायी अधिकारी जो 1-1-1978 को 50 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हैं और कालम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे :—

कालम 1	कालम 2	कालम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड ग	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड ग अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-I

कालम 1	कालम 2	कालम 3
सामान्य संवर्ग का ग्रेड-IV, आशुलिपिक उप संवर्ग का ग्रेड-II और भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' का साइफर संवर्ग का ग्रेड-II	सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV में अथवा आशुलिपिक उप संवर्ग के ग्रेड-II में अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के साइफर उप संवर्ग के ग्रेड-II में अथवा दोनों में अथवा ऊपर के सभी ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-II
रेल बोर्डसचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड ग	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड में अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ ग्रेड-ग में अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-III
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड-ग	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ ग्रेड-ग में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	ग्रेड-IV
भारतीय विदेश सेवा 'ख' का आशुलिपिक उप संवर्ग का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा 'ख' के आशुलिपिक उप संवर्ग के ग्रेड-II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-V
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड-ग	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ ग्रेड-ग में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-VI
रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड-ग	रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ ग्रेड-ग में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-VII
आसूचना ब्यूरो का सहायक/ आशुलिपिक ग्रेड-II	आसूचना ब्यूरो के सहायक ग्रेड में अथवा आसूचना ब्यूरो की आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-II में, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग-VIII

किन्तु शर्त यह है कि 1978 में होने वाली परीक्षा के वर्ग VII की सेवा के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने कम से कम 4 वर्ष अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली हो।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/ रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II में उस उम्मीदवार को जो स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त अस्थायी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था तथा जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल उद्घोषणा के प्रवर्तन में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में नौकरी की हो और जो वहां से उपर्युक्त ग्रेड में प्रत्यावर्तित हो गया हो सशस्त्र सेना में अपनी सेवा (प्रशिक्षण अवधि समेत, यदि कोई हो) की अवधि तक की छूट दी जाएगी।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथाभूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xi) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा दल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xii) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा दल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(घ) ऐसा उम्मीदवार जो निर्णायक तारीख अर्थात पहली जनवरी, 1978 को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु का हो जाता है और जो आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था या 25-6-75 तथा 21-3-77 के बीच की आन्तरिक आपात् स्थिति की अवधि के दौरान अभिकथित राजनैतिक कार्य-कलापों या तत्कालीन प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित होने के कारण भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन गिरफ्तार या कैद हुआ था और इस प्रकार उक्त परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु निर्धारित आयु-सीमा के अन्दर होते हुए भी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया गया था इस शर्त पर परीक्षा में बैठने का पात्र होगा कि वह जून, 1975 और मार्च, 1977 के बीच की अवधि के दौरान कम से कम एक बार भी परीक्षा में नहीं बैठ पाया हो (अर्थात् जिसने परीक्षा छोड़ दी हो)।

नोट:—इस रियायत के अन्तर्गत जो कि 31-12-1979 के बाद होने वाली किसी भी परीक्षा में प्रवेश के लिए ग्राह्य नहीं होगी एक से अधिक अवसर नहीं दिया जाएगा।

ऊपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

नोट 1:—ऊपर के खण्ड (क) के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा उस खण्ड के कालम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

परन्तु यह खण्ड (क) के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिनकी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पर नियुक्त किया गया हो और जो खण्ड (क) के कालम 1 में संदर्भित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखते हों।

नोट 2:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वे सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वर्ग-I और IV के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 3:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, जो भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' में प्रति नियुक्ति पर हैं, वर्ग-II तथा V के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. दो वर्गों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र में अपनी पसन्द के अनुसार वर्गों के वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें।

व्याख्या:—उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वर्गों के वरीयता-क्रम में परिवर्तन करने से संबंध किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में आयोग के परीक्षा नोटिस के पैरा 3 में निर्धारित तारीख तक प्राप्त न हो जाए।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जिस उम्मीदवार ने:—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो;

(xi) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

9. परीक्षा के बाद, अंतिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंकों के आधार पर आयोग योग्यता क्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा, और उसी क्रम से जितने उम्मीदवार अर्हता प्राप्त समझे जाएंगे, उन्हें अपेक्षित संख्या तक प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में शामिल करने के लिए आयोग द्वारा अनुशंसा की जाएगी।

किन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा की कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार प्रत्येक वर्ग की सूची में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त हों।

नोट:—उम्मीदवार को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

10. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसकी किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो अथवाकेन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड, 'ग' आसूचना ब्यूरो आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

13. जिन उम्मीदवारों ने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में नौकरी की हो और जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवावधि के दौरान ली गई अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अनुभाग अधिकारी ग्रेड की (रेल बोर्ड) की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में न बैठ सके हों, यदि इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अन्तिम रूप से उनकी अनुशंसा की जाती है तो, उनकी वरिष्ठता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

के० एल० रामचन्द्रन, उप सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी:—

भाग I (क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा:—

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपिक परीक्षा (उन उम्मीदवारों के लिए जो वर्ग IV, V, VI तथा VII की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं)

नोट:—उम्मीदवारों को अपने शार्टहैंड नोट्स को टाइपराइटर पर लिप्यन्तरण करना होगा और इस उद्देश्य के लिए उन्हें अपने टाइपराइटर साथ लाने होंगे।

भाग II :—आयोग की विवेक्षा पर ऐसे उम्मीदवारों के सेवा रिकार्डों का मूल्यांकन किया जाएगा जिनके लिए अधिकतम 150 अंक होंगे।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा :—

क्रम सं०	विषय	वर्ग
(1)	टिप्पण तथा मसौदा लेखा, सार लेखन .	सभी वर्गों के लिए एक जैसा
(2) (i)	भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली-I	वर्ग I वर्ग II
(ii)	भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली-II	वर्ग I वर्ग V वर्ग VI
(iii)	भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली-III	वर्ग VIII
(iv)	कार्यालय पद्धति तथा कार्य प्रणाली-I	वर्ग III
(v)	कार्यालय पद्धति तथा कार्य प्रणाली-II	वर्ग VII
(3) (i)	भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा क्रिया विधि का सामान्य ज्ञान-I	वर्ग I वर्ग II वर्ग III वर्ग VIII
(ii)	भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा क्रिया विधि का सामान्य ज्ञान-II	वर्ग IV वर्ग V वर्ग I वर्ग VII
(4) (i)	सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (के० स० से०)-I और आसूचना ब्यूरो	वर्ग I वर्ग VIII
(ii)	सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (भा० वि० से० 'ख')-I	वर्ग II
(iii)	सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (के० स०आ०से०)-II	वर्ग IV
(iv)	सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (भा० वि० से० 'ख')-II	वर्ग V
(v)	रेल वित्तीय तथा सेना नियम (रे० बो० स० आ० से०)-II	वर्ग III
(vi)	रेल वित्तीय तथा सेवा नियम (रे० बो० स० आ० से०)-II	वर्ग II
(vii)	वित्तीय विनियम तथा सेवा नियम	वर्ग VI
(5)	सामान्य ज्ञान . . .	सभी वर्गों के लिए एक जैसा

प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अधिकतम 100 अंक होंगे और इसके लिए 2½ घंटे का समय दिया जाएगा।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुसूची में दिया गया है।

4. वर्ग I से VII के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (2), (3) तथा (5) के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा। सभी उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (1) तथा प्रश्न-पत्र (4) के उत्तर अंग्रेजी में देने होंगे। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे।

वर्ग VIII के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (3) और (5) के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा, प्रश्न-पत्र (1), (2) और (4) के उत्तर अंग्रेजी में देने होंगे। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे।

नोट 1—उपर्युक्त सभी तीनों प्रश्न-पत्रों के लिए एक ही विकल्प और होगा विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए अथवा एक प्रश्न-पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग नहीं।

नोट 2—उक्त प्रश्न-पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 9 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

नोट 3—प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ-साथ अंग्रेजी पर्याय भी ब्रेकिट में दे सकते हैं।

5. वर्ग IV, V, VI तथा VII के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे जो उम्मीदवार (2), (3) और (5) तीन प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में ही देने का विकल्प देंगे, उन्हें आशुलिपि परीक्षा भी केवल हिन्दी (देवनागरी) में देनी होगी और जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपिक परीक्षा भी अंग्रेजी में देनी होगी।

नोट:—जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 5 के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं और प्रश्न-पत्र (2), (3) तथा (5) और जिन्होंने आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प दिया है, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षा देने के लिए विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशन में, जहां ऐसी परीक्षा देने के आवश्यक प्रबन्ध हों, जाना पड़ सकता है।

6. अंग्रेजी/हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का श्रुतलेख शामिल है जिसे उम्मीदवारों को 50/65 मिनट में लिप्यंतर करना होगा।

7. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है। वर्ग IV, V, VI तथा VII के मामले में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा में आयोग की विवेचना पर नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5% अंक अस्पष्ट लिखाई के लिए काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों, आदि का ज्ञान अपेक्षित है उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

टिप्पण तथा मसौदा लेखन सार लेखन

उम्मीदवारों की विशिष्ट समस्याओं के संबंध में टिप्पण तथा मसौदा तैयार करने होंगे और साथ ही सारांश अथवा सार के लिए पैराग्राफ भी प्रश्न-पत्रों में रखे जाएंगे।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य विधि तथा कार्य-प्रणाली-I तथा II

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्ग दर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका

(ii) कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां

(iii) संघ लोक सेवा के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य-प्रणाली-III

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य विधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है—
इस विषय पर कुछ मार्ग दर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका

(ii) कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा की गई टिप्पणियां।

(iii) आसूचना ब्यूरो के स्थायी आदेश।

कार्यालय पद्धति और कार्य प्रणाली I तथा II

इसका उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य विधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है, इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) इस अधिसूचना के समय रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी की गई प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका।

(ii) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई 'संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों की पुस्तिका'।

भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी संसद कार्य प्रणाली तथा कार्य विधि का सामान्य ज्ञान I, II और आसूचना ब्यूरो

नोट:—यह आशा की जाएगी कि निम्नलिखित विषयों का ज्ञान हो—

(i) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धांत

(ii) लोक सभा तथा राज्य सभा में कार्य संचालन तथा पद्धति विषयक नियम

(iii) भारत सरकार की कार्य प्रणाली का आयोजन —मंत्रालयों विभागों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को पदनाम तथा उनके बीच विषयों की आबंटित करना और उनके परस्पर संबंध।

सामान्य वित्तीय तथा सेवाएं नियम

(के० स० से०)-I तथा

(के० स० से०)-II

निम्नलिखित पुस्तकों की अनुशंसा की जाती है :—

(i) मूल तथा अनुपूरक नियम (ए० जी० पी० एण्ड टी० संकलन अथवा चौधरी-संकलन)

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवाएं पेंशन नियम 1972

(iii) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1964

(iv) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965।

(v) सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत्) 1963।

(vi) वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम 1958 (भारत सरकार के निर्णय सहित) तथा प्रत्यायोजन आदेश दिनांक पहली जून 1962 और 18 अक्तूबर 1968 संकलन।

सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (भा० वि० से० 'ख')-I और II

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं:—

1. वित्तीय तथा पूरक नियम (ए० जी० पी० एण्ड टी० संकलन अथवा चौधरी-संकलन)

2. केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972

3. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965।

4. सामान्य वित्तीय नियम (संशोधित तथा बृहत) संकलन) 1963

5. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम 1958 (भारत सरकार के निर्णयों सहित) तथा प्रत्यायोजन आदेश, दिनांक पहली जून, 1962 तथा 18 अक्तूबर, 1960 संकलन।

6. भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम 1961

7. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार

8. सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना

9. भारतीय विदेश सेवा (आचरण तथा अनुशासन) नियम, 1961

रेल वित्तीय तथा सेवा नियम (रे० बो० स० से०)-I तथा (रे० बो० स० आ० से०)-II

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(i) भारतीय रेल सामान्य कोड-खंड-1

(ii) भारतीय रेल स्थापना कोड-खंड-1

(iii) रेल सेवाएं (आचरण) नियम 1966

(iv) रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियम 1968।

वित्तीय विनियम तथा सेवा नियम

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(1) मूल नियम तथा अनुपूरक नियम (ए० जी० पी० एण्ड टी० संकलन अथवा चौधरी-संकलन)

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(3) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965।

(4) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964।

(5) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972।

(6) वित्तीय विनियम भाग 1 (संशोधित संस्करण 1963)

सामान्य ज्ञान

प्रश्न-पत्र में वर्तमान समय की अभिरुचि तथा महत्व वाले विषय शामिल किए जाएंगे। इन में पंच वर्षीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की मख्य-मुख्य विशेषताओं के ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के वर्तमान कार्यों के मेधावी ज्ञान जिसकी प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है का पता लगाने के लिए प्रश्न भी रखे जाएंगे। उम्मीदवारों के उत्तरों से प्रश्नों के बारे में उनके मेधावी ज्ञान का पता चलने की आशा की जाएगी, किसी पाठ्य पुस्तक, रिपोर्ट आदि के विस्तृत ज्ञान की नहीं।

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई, 1978

संकल्प

सं० फा० 16 (5)-ई०-V (बी)/78—सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह घोषणा की जाती है कि वर्ष 1978–79 के दौरान 25000 रु० तक की सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य उसी प्रकार की निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर (जिनमें जमा की गई तथा निकाली जाने वाली राशियां शामिल हैं) ब्याज की दर 8 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा 25000 रु० से ऊपर की रकम पर ब्याज की दर 75 प्रतिशत वार्षिक होगी। ये दरें 1 अप्रैल, 1978 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेंगी। संबंधित निधियां निम्नानुसार हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)
2. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)
3. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
4. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
5. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि
6. अन्य विविध भविष्य निधि (रक्षा)
7. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि
8. सशस्त्र सेना कर्मचारी भविष्य निधि
9. भारतीय आयुधनिर्माणी कामगार भविष्य निधि
10. अंशदायी भविष्य निधि (रक्षा)
11. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।

2. रेल (रेलबोर्ड) मंत्रालय द्वारा अपने नियंत्रण अधीन विभिन्न भविष्य निधियों की शेष जमा पर, संबंधित वर्ष के दौरान लागू ब्याज की दरों के बारे में आवश्यक आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

3. आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सीताराम अग्रवाल, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 1978

संकल्प

सं० 9/7/78-ई० पी० (एग्री०–VI)—बीड़ी तथा अन्य प्रकार के तम्बाकू के देशी उत्पादन तथा उसके विपणन में अनुभव की जा रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, गहराई के साथ इस समस्या का अध्ययन करने के लिए तथा सरकार के विचारार्थ उत्पादन को विनियमित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए तथा वर्जीनिया तम्बाकू को छोड़कर तम्बाकू के विपणन में तेजी से सुधार लाने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त करने का विनिश्चय किया है। विशेषज्ञ दल का गठन निम्नोक्त प्रकार होगा :—

(i) अध्यक्ष : श्री पी० के० कौल, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय।

(ii) सदस्य : (क) डा० जी० एस० कलकट, अपर सचिव, (उत्पादन) कृषि विभाग, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय।

(ख) श्री जे० एस० उप्पल, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय।

(ग) डा० डब्ल्यू० जी० वालुंजकर, निदेशक तंबाकू विकास निदेशालय, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, 3, एल्डम्स रोड, तेयनमपेट, मद्रास-18।

(घ) डा० जी० जे० पटेल, निदेशक तथा परियोजना समन्वय कर्ता, केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, आनन्द (गुजरात), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व ।

(ङ) डा० (श्रीमती) आर० थागाराजश्री, सदस्य सचिव, कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली ।

(च) बैंक खण्ड का एक प्रतिनिधि, वित्तीय कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत किए जाने वाला एक प्रतिनिधि ।

(ज) श्री सी० टी० ए० पिल्लई, अपर सचिव, (उत्पादन शुल्क) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ।

(झ) श्री वी० सी पांडे, संयुक्त सचिव, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

(ञ) बीड़ी उद्योग के कारोबार में लेखा संबन्धित अधिकारी जिसे उद्योग मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जा सके ।

(ट) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

(ठ) गुजरात, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एक-एक प्रतिनिधि ।

(iii) सदस्य सचिव : श्री एस० चक्रवर्ती, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर ।

2. विशेषज्ञ दल के अध्यक्ष ऐसे अन्य सदस्यों को, जिन्हें वे आवश्यक समझें सहयोजित कर सकते हैं ।

3. विशेषज्ञ दल के विचारार्थ विषय निम्नोक्त प्रकार होंगे :—

(i) छठी योजनावधि के दौरान बीड़ी तम्बाकू तथा अन्य प्रकार के गैर वर्जीनिया तम्बाकू की कुल घरेलू तथा निर्यात मांग का मूल्यांकन करना उसके आधार पर उत्पादन लक्ष्यों तथा छठी योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में वर्षवार ऐसे तम्बाकू के अन्तर्गत लाए जाने वाले क्षेत्रों की सिफारिश करना ।

(ii) बीड़ी तम्बाकू के विपणन तथा प्रोसेसिंग की वर्तमान प्रणाली की जांच करना तथा ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिनसे विपणन प्रणाली में सुधार हो ताकि अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पादकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले तथा उन्हें उसका भुगतान नकद रूप में मिले । इसी संदर्भ में दल साधित बीड़ी तम्बाकू के फार्म-स्तर पर अथवा विपणन स्तर पर मानक ग्रेडों की प्रणाली लागू करने की संभाव्यता पर भी विचार करेगा । इसके अतिरिक्त वह नीलामियों के जरिए अथवा किसी अन्य तरीके से बीड़ी तम्बाकू का विपणन प्रभावी रूप में विनियमित करने के लिए कोई प्रणाली लागू करने की संभाव्यता पर विचार करेगा ।

(iii) बीड़ी तम्बाकू खरीदने के लिये बीड़ी उद्योग की ऋण आवश्यकताओं पर विचार करना तथा इस उद्देश्य के लिये उपयुक्त ऋण नीति की सिफारिश करना ।

(iv) विभिन्न किस्मों के बीड़ी तम्बाकू के भुगतान के लिये उद्योग की क्षमता निश्चित करने के उद्देश्य से बीड़ी उद्योग के लागत-ढांचे, तेंदू के पत्तों की कीमत तथा उत्पादन शुल्क के भार पर विचार करना । दल बीड़ी की प्रतिनिधि थोक-बिक्री कीमत की सिफारिश करेगा जिसके आधार पर बीड़ी तम्बाकू की उत्पादन-लागत तथा बीड़ियों के विनिर्माण में बीड़ी तम्बाकू के लागत भार पर विचार करने के बाद बीड़ी तम्बाकू की उचित कीमत का आकलन किया जा सकता है ।

4. विशेषज्ञ दल इस बात के लिए स्वतंत्र है कि यदि वह उपयुक्त समझे तो एक अथवा अधिक उप-दलों का गठन कर ले ।

5. विशेषज्ञ दल अपनी रिपोर्ट 6 महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

बी० सी० पांडे संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1978

आदेश

विषय : उत्तर और दक्षिण ताप्ती (अपतटीय) 881.50 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० 12012/1/78 प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपनियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन देहरादून (जिसको बाद में आयोग कहा जायेगा) उत्तर और दक्षिण ताप्ती अपतटीय क्षेत्र के 881.50 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 22-12-1977 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' (I) और (II) में दिये गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए, तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केंद्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी ।

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेंसेट पर 42/- रु० प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हैड कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची 'ख' में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 की आवश्यकता के अनुसार नियम II द्वारा आयोग 7,056 रुपये की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी ।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रुपए
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रुपए
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रुपए
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रुपए
5. लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपए ।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को 2 माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप में देगा। तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रक और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपसटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

अनुसूची क (I)

उत्तर ताप्ती क्षेत्र 207.00 वर्ग कि० मी०

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत उत्तर ताप्ती क्षेत्र आता है और यह अक्षांश 21° 0′ 0″ दक्षिण से 21° 5′ 50″ उत्तर और देशान्तर 72° 17′ 9″ पश्चिम से 72° 28′ 9″ पूर्व के बीच स्थित है और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात ए बी सी और डी को मिलाते हुए चित्रित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 207.00 वर्ग किलोमीटर है। जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उनके प्वाइंट जिन आक्षांशों और देशांतरों पर पड़ते हैं तथा उसके बीच की दूरी निम्नलिखित है :

बेयरिंग

	अक्षांश			देशान्तर				दूरी किलोमीटर में
	डि०	मी०	से०	डि०	मी०	से०		कि० मी०
प्वाइंट ए स्थित है	21°	5′	50″	72°	17′	9″	प्वाइंट ए से बी	19.25
प्वाइंट बी स्थित है	21°	5′	50″	72°	28′	9″	प्वाइंट बी से सी	10.75
प्वाइंट सी स्थित है	21°	0′	0″	72°	28′	9″	प्वाइंट सी से डी	19.75
प्वाइंट डी स्थित है	21°	0′	0″	72°	17′	9″	प्वाइंट डी से ए	10.75

तट पर चार मुख्य स्थानों से दूर प्वाइंटों की लगभग दूरी निम्नलिखित प्रकार से है।

1. बम्बई—237.5 कि० मी०
2. दियु—150.0 कि० मी०
3. दहानू—85.0 कि० मी०
4. तारापुर—140.0 कि० मी०

अनुसूची क (II)

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत दक्षिण ताप्ती क्षेत्र आता है और यह अक्षांश 20° 22′ 00″ दक्षिण से 20° 45′ 0″ उत्तर और देशान्तर 71° 50′ 00″ पश्चिम से 72° 10′ 22″ पूर्व के बीच स्थित है और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात ई० एफ० जी० और एच० को मिलाते हुए चित्रित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 674.50 वर्ग कि० मी० है।

जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांशों और देशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है।

बेयरिंग

	अक्षांश			देशान्तर				दूरी किलोमीटर में
	डि०	मी०	से०	डि०	मी०	से०		कि० मी०
प्वाइंट ई स्थित है	20°	45′	00″	72°	1′	43″	प्वाइंट ए से एफ	17.75
प्वाइंट एफ स्थित है	20°	39′	45″	72°	10′	22″	प्वाइंट एफ से जी	38.00
प्वाइंट जी स्थित है	20°	22′	00″	71°	58′	51″	प्वाइंट जी से एच	17.75
प्वाइंट एच स्थित है	20°	27′	30″	71°	50′	00″	प्वाइंट एच से ई	38.00

तट पर चार मुख्य स्थानों से दूर प्वाइंटों की लगभग दूरी निम्नलिखित है :

1. बम्बई—195.00 कि० मी०
2. दियु—110.00 कि० मी०
3. दमन—85.00 कि० मी०
4. तारापुर—105.00 कि० मी०

अनुसूची ख

अशोधित तेल केसिंग हैड कंडेसेंट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण।

उत्तर और दक्षिण तापती (अपतटीय) क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस। क्षेत्रफल 881.50 वर्ग किलो मीटर।

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कंडेसेंट

प्राप्त किये गये कुल किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वार अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूँ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश एवं नाम में

हस्ताक्षर----------

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1978

सं० 6/3/75 आर० डी०—अधिसूचना सं० एफ० 6(26)/71 आई० सी० दिनांक 23 जुलाई, 1971 के अधीन प्रकाशित तथा अधिसूचना सं० 6(26)/71 आई० सी० दिनांक 28 फरवरी, 1974 को यथासंशोधित "परिवहन सहायता योजना, 1971" के पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 ख, पैरा 6(II) और 6(III) में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन किया जाता है :—

"2. प्रारम्भ और अवधि : यह 15-7-71 से चुने हुए (क) क्षेत्रों में 24-8-73 से चुने हुए (ख) क्षेत्रों में 1-12-76 से चुने हुए (ग) क्षेत्रों में और 5-12-1977 से चुने हुए (घ) क्षेत्रों में प्रवृत्त हुआ है और 31-3-1979 तक प्रभावी रहेगा।

"3. यह चुने हुए क्षेत्र (क), (ख), (ग) और (घ) के सभी प्राकार के सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक उपक्रमों (वृक्षारोपण, रिफाइनरी तथा बिजली जनित्रण एककों को छोड़कर) पर लागू होती है।

"4(च) चुने हुए (क) के क्षेत्र के आशय जम्मू और काश्मीर तथा आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा तथा संघ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से है (ख) क्षेत्र से आशय हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों जिनमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तर काशी और चमोली जिले शामिल है, से है; और चुने हुए (ग) क्षेत्र से आशय अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से है तथा चुने हुए (घ) क्षेत्र से आशय सिक्किम राज्य से है।

"6(ii) कच्चे माल और तैयार माल को जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, संघ क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तथा सिक्किम राज्य के भीतर लाने ले जाने पर औद्योगिक एकक परिवहन सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

"6(iii) जम्मू और काश्मीर के मामले में परिवहन सहायता औद्योगिक एकक के स्थापना स्थल और जम्मू अथवा पठानकोट रेल शीर्ष जो भी निकट हो के बीच की परिवहन लागत पर परिवहन सहायता दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश के मामले में परिवहन सहायता राज्य में औद्योगिक उपक्रम के स्थापना स्थल और निकटतम रेल शीर्ष यथा (i) पठानकोट, (ii) कीरतपुर साहिब, (iii) नांगल, (iv) कालका, (v) धनौली, (vi) यमुनानगर, (vii) बराड़ा और (viii) होशियारपुर के बीच आने वाली परिवहन लागत पर दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में परिवहन सहायता औद्योगिक उपक्रम के स्थापना स्थल और निकटतम रेलशीर्ष यथा (i) देहरादून, (ii) ऋषिकेश, (iii) मुरादाबाद, (iv) बरेली, (v) कोटद्वार, (vi) शाहजहांपुर और (vii) रामपुर के बीच आने वाली परिवहन लागत पर दी जायेगी ।

2. निम्नलिखित पैरा 6(v) और 6(vi) के रूप में जोड़े जाते हैं और तदनुसार पैरा 6(v) से 6(xvi) के क्रमांक बदलकर (6)(vii) से 6(xviii) किए जाते हैं ।

"6(v) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के मामले में परिवहन सहायता मद्रास बन्दरगाह और औद्योगिक एकक के स्थापना स्थल के बीच संघ राज्य के भीतर समुद्र और सड़क परिवहन की लागत पर दी जायेगी। लक्षद्वीप के मामले में परिवहन सहायता संघ क्षेत्र के भीतर कोचीन बन्दरगाह और औद्योगिक एकक के स्थापना स्थल के बीच की समुद्री और सड़क परिवहन की लागत पर दी जायेगी । यदि मुख्य भूभाग में परिवहन सहायता के लिए किसी अन्य बन्दरगाह का उपयोग किया जाता है तो परिवहन लागत औद्योगिक उपक्रम द्वारा मद्रास अथवा कोचीन बन्दरगाह जैसा कि मामला हो का उपयोग करने पर आने वाली परिवहन लागत अथवा वास्तविक परिवहन लागत जो भी कम हो पर दी जायेगी

"6(vi) सिक्किम के मामले में परिवहन सहायता राज्य में औद्योगिक उपक्रम के स्थापना स्थान और रेलशीर्ष सिलीगुड़ी के बीच की परिवहन लागत पर दी जायेगी ।

3. विद्यमान पैरा 6(v) में जिसका क्रमांक बदलकर पैरा 6(vii) किया गया है निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

6(vii) सड़क/समुद्री मार्ग से ले जाने का भाड़ा प्रभार केंद्रीय सरकार/ सम्बन्धित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा समय समय पर परिवहन /जहाज से भेजा जाने के लिए निर्धारित दर अथवा वास्तव में दिया गया भाड़ा जो भी कम हो के आधार पर तय किया जायेगा ।

4. पैरा 6(ix) जिसका क्रमांक अब पैरा 6(xi) कर दिया गया है में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"6(xi) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिंदुस्तान स्टील लि० के गोहाटी गोदाम से औद्योगिक एककों के स्थान तक इस्पात तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में स्थित राज्य निगम के डिपुओं से राज्य के पहाड़ी जिलों में स्थित औद्योगिक एककों के स्थापना स्थलों तक औद्योगिक कच्चे माल के लाने ले जाने के परिवहन व्यय पर भी 50 प्रतिशत तक परिवहन सहायता प्राप्त होगी ।"

एस० जे० कोयलो, संयुक्त सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1978

सं० एफ० 1228/78-पी० एन० II—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सदस्यता में छः रिक्त स्थानों को भरने के लिये, सदस्यों के रूप में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिये मनोनीत किया जाता है :—

(1) डा० एम० एस० स्वामीनाथन,
महानिदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
कृषि भवन,
नई दिल्ली

(2) डा० डी० एम० नानजुनदप्पा,
आर्थिक सलाहकार एवं विशेष सचिव,
कर्नाटक सरकार,
आयोजना विभाग,
विधान सौधा,
बंगलौर-560001

(3) प्रो० मृनाल दत्त चौधरी,
अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-7

(4) प्रो० ए० आर० कुलकर्णी,
प्रोफेसर और इतिहास के विभागाध्यक्ष,
पूना विश्वविद्यालय,
पूणे-411007

(5) प्रो० रामकृष्ण मुखर्जी,
विख्यात वैज्ञानिक,
भारतीय सांख्यिकी संस्थान,
203 बैरकपुर ट्रंक रोड,
कलकत्ता-700035

(6) प्रो० एस० मकबूल अहमद,
पश्चिम एशियाई, अध्ययन के प्रोफेसर,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़

बी० सेनगुप्त, अवर सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 जुलाई 1978

सं० एन० 13016/1/77-पी० एस०—इस समय देश में ग्रामीण आवास के 8 स्कन्ध हैं जो बंगलौर, चन्डीगढ़, हावड़ा, दिल्ली, वल्लभ विद्यानगर, श्रीनगर, जोधपुर और त्रिवेंद्रम में स्थित हैं, देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार के ग्रामीण आवास स्कन्ध स्थापित करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है, अब यह निर्णय किया गया है कि वाराणसी में एक ग्रामीण आवास स्कन्ध तुरन्त स्थापित किया जाए ।

2. ग्रामीण आवास स्कन्ध राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के नियंत्रण तथा निर्देशन में कार्य करेगा और यह संगठन उसे सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देगा ।

ग्रामीण आवास स्कन्ध के कार्य निम्नलिखित होंगे :

(1) स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग और उस पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, ग्रामीण मकानों के नक्शे और निर्माण की तकनीकियों को प्रोत्साहन देना,

(2) परिष्कृत भवन निर्माण सामग्री तथा तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन देना,

(3) कुछ चुने गए ग्रामों में पर्यावरणीय सुधार के साथ-साथ प्रदर्शन मकानों के समूह का निर्माण करना,

(4) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत परियोजना के निष्पादनार्थ नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण तथा ट्रेनिंग देना,

(5) ग्रामीण आवास से सम्बन्धित समय समय पर सुझाए गए किसी अन्य कार्यक्रम को करना,

3. ग्रामीण आवास स्कन्ध वाराणसी, बनारस हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी में स्थित होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (25 प्रतियां)
2. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली
3. उपकुलपति, बनारस हिंदु विश्वविद्यालय वाराणसी,
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

एन० एस० एल० राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS) RULES

New Delhi, the 12th August 1978

RULES

No. 5/52/78-CS(1).—The rules for a combined limited departmental competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1978 for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers' Grade I/Grade B of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned published for general information.

Category I

Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service.

Category II

Section Officers' Grade (Integrated Grade II & III) of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

Category III

Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service.

Category IV

Grade B of the Central Secretariat Stenographers' Service.

Category V

Grade I of the Stenographers' Sub-cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

Category VI

Grade B of the Armed Forces Headuarters Stenographers' Service.

Category VII

Grade B of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category VIII.

Section Officers' Grade of the Intelligence Bureau.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by te Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; (as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation Act, 1971) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956; the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; and the Constitution (Nagaland), Scheduled Tribes Order, 1970.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service commision in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. (a) Permanent or regularly appointed temporary officers of the grades and service mentioned in column 1 below who on 1st January, 1978 are not more than 50 years of age and satisfy the conditions regarding length of service mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
Assistants' Grade of the Central Secretariat Service and Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years approved and continuous service in the Assistants Grade of the Central Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category I
Grade IV of the General Cadre Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre, and Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B'	Not less than 5 years' approved and continuous Service Grade IV of the general cadre or in Grade II of the Stenographers sub-cadre or in Grade II of the cypher subcadre of the Indian Foreign Service 'B' or in two or all the above grades, as the case may be.	Category II
Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less tha 5 years' approved and continuous service in the Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category III
Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Category IV

1	2	3
Grade II of the Stenographers' sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II of the Stenographers sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Category V
Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Category VI
Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous Service in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Category VII
Assistants/Stenographers Grade II of I.B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Assistants' Grade of IB/Stenographers' Grade II of I.B. Stenographers' Service.	Category VIII

Provided that there will be no upper age limit for candidates competing for service in Category VII for the examination to be held in 1978.

Provided further that in the case of a candidate who had been appointed to the Grades mentioned in column 1 above on the results of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that grade.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a candidate who was a permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service or of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service and who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and has reverted therefrom to the said Grade to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(c) The age limit prescribed above will be further relaxable :

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) up to maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania or is an Indian repatriate from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel, disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(d) A candidate who exceeds the prescribed upper age limit on the crucial date viz., 1st January, 1978 and who was detained under the Maintenance of Internal Security Act or was arrested or imprisoned under the Defence and Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder during the period of Internal Emergency between 25-6-1975 and 21-3-1977 on account of alleged political activities or association with erstwhile banned organisations and thus prevented from appearing at the examination while he was still within the age limits prescribed for admission to this examination, will be eligible to appear at the examination subject to the condition that he should not have sat for i.e., (he should have foregone) the examination at least once during the period between June, 1975 and March, 1977.

Note :—Under this concession, which will not be admissible for admission to any examination held after 31-12-1979, not more than one chance will be allowed.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE 1.—Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 of Clause (a) above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible, and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in Column 2 of that Clause.

This, however, does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 of Clause (a) above who have been appointed to ex-cadre post or to another Service on "transfer" and do not have a lien in the Grades and Services referred to in Column 1 of Clause (a).

NOTE 2.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Ser-

vice who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch 'B" and have been appointed to any Grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Categories I and IV.

NOTE 3.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Categories II and V.

4 A candidate competing for two categories should specify in his application the Categories for which he wishes to be considered in the order of preference.

N.B.—No request for alteration in the order of preference for the Categories originally indicated by a candidate in his application would be considered unless such a request is received in the Office of the Union Public Service Commission by the date specified in para 3 of the Commission's Notice for the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations or

(xi) attempting to commit or as the case may be abetting the commssion of all or any of the acts specified in the foregoing clauses

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the approach rules.

8. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

9. After the examination, candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for each category up to the required number.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission, by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List for each category irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service//Intelligence Bureau or Stenographer Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service Grade II of the I.B. Stenographers' Service or any post in the Indian Foreign Service, Branch 'B' will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

13. The seniority of candidates who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968 and who could not compete at the Section Officers' Grade Limited Departmenal Competitive Examination(s) and Section Officers' Grade (Railway Board) Limited Departmental Competitive Examination(s) held during the period of their service in the Armed Forces shall be regulated in accordance with the special orders issued by the Government of India in this behalf, in case they are finally recommended for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade on the results of the examination.

K. L. RAMACANDRAN,
Deputy Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:—

Part I. (a) Written examination carrying a maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

(b) A qualifying Shorthand Test in Hindi or in English at 100 w.p.m. (for those candidates who qualify at the written examination for Categories IV, V, VI and VII).

Note :—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

Part II. Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion carrying a maximum of 150 marks.

2. The subjects, in which the candidates competing for different Categories of Services will be required to take the written examination, will be as follows :—

Sl. No.	Subject	Category
1	2	3
(1)	Noting and Drafting, Precis Writing	Common for all categories
(2)	(*i*) Procedure & Practice in the Govt. of India Secretariat and Attached Offices-I	Category I Category II
	(*ii*) Procedure & Practice in the Govt. of India Secretariat and Attached Offices-II	Category IV Category V Category VI
	(*iii*) Procedure & Practice in the Govt. of India Secretariat and Attached Offices-III.	Category VIII
	(*iv*) Office Procedure & Practice -I	Category III
	(*v*) Office Procedure & Practice -I	Category VII
(3)	(*i*) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government Practice & Procedure in Parliament-I.	Category I Category II Category III Category III
	(*ii*) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government Practice & Procedure in parliament-II	Category IV Catrgory V Category VI Category VII
(4)	(*i*) General Financial & Service Rules (CSS)-I and I.B.	Category I Category VIII
	(*ii*) General Financial & Service Rules (IFS 'B')-I	Category II
	(*iii*) General Financial & Service Rules (CSSS).II	Category IV
	(*iv*) General Financial & Serview Rules (IFS 'B') II	Category V
	(*v*) Railway Financial & Service Rules (RBSS)-I	Category II
	(*vi*) Railway Financial and Service Rules (RBSSS)-II	Category VII
	(*vii*) Financical Regulations & Service RulesI	Category VI
5)	General Knowledge	Common for all categories.

Each paper will carry a maximum of 100 marks and will be of 2-1/2 hrs. duration.

3. Syllabus for the examination will be as shown in the Schedule.

4. Candidate to competing for categories I—VII are allowed the option to answer papers (2), (3) and (5) either in English or in Hindi (Devanagari). Paper (1) and paper (4) must be answered in English by all candidates. Question papers will be set in English only.

Candidates competing for Category VIII are allowed the option to answer papers (3) and (5) either in English or in Hindi (Devanagari). Papers (1), (2) and (4) must be answered in English. Question papers will be set in English only.

Note 1. The option will be the same for all the three papers mentioned above and not for different papers or different questions in the same paper.

Note 2. Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Column 9 of the application form otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 3. Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

5. Candidates competing for Categories IV, V, VI, and VII who opt to answer the three papers (2), (3) and (5) in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Test also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the above papers in English will be required to take the Shorthand Test also in English only.

Note :—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad and exercising the option to answer the papers (2), (3) and (5) and to take the Stenography Test in Hindi in terms of para 5 above may be required to appear at his own expenses for the Stenography Test at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such a Test are available.

6. The Shorthand Test in English/Hindi would comprise dictation test at the speed at 100 words per minute for ten minutes which the candidates will be required to transcribe in 50/65 minutes.

7. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

8. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination. In the case of Categories IV, V, VI and VII only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for Shorthand Test.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UPTO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING

In addition to questions requiring candidates to prepare notes and drafts on specific problems, passages may also be set for summary or precis.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES I AND II :—

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) Hand Book of Orders regarding use of Hindi official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES III.

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India secretariat and Attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) Intelligence Bureau Standing Orders.

OFFICE PROCEDURE AND PRACTICE I & II.

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board) and Atached Offices—some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure issued by the Ministry of Railways (Railway Board) current at the time of the Notification.

(ii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT; PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT I AND II ;—

Note.—Knowledge of the following will be expected (i) the main principles of the Constitution of India (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and (iii) the organisation of the machinery of Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries Departments and Attached and Subordinate Offices and their relation *inter se*.

GENERAL FINANCIAL AND SERVICE RULES (CSS)-I (CSSS)-II AND I.B.

The following books are recommended :—

(i) Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&Ts. compilation or Chaudhuri's compilation).

(ii) The Central Civil Services Pension Rules, 1972.

(iii) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(iv) The Contral Civil Services (Classification) Control and Appeal) Rules 1965.

(v) Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged), 1963.

(vi) Compilation of the Delegation of Financial Power Rules 1958 (with Government of India Decisions) and the Delegation Orders, dated the 1st June, 1962 and 18th October, 1968.

GENERAL FINANCIAL AND SERVICE RULES (IFS 'B') I AND II

The following books are recommended :—

1. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation or Chaudhuri's compilation).
2. The Central Civil Service Pension Rules, 1972.
3. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.
4. Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged), 1963.
5. Compilation of the Delegation of Financial Power Rules, 1958 (with Government of India Decisions) and the Delegation Orders, dated the 1st June, 1962 and 18th October, 1968.
6. Indian Foreign Service (PLCA) Rules, 1961.
7. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.
8. Assisted Medical Attendance Scheme.
9. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) Rules, 1961.

RAILWAY FINANCIAL AND SERVICE RULES (RBSS)-I AND (RBSSS)-II

The following books are recommended :—

(i) Indian Railway General Code Vol. I.

(ii) Indian Railway Establishment Code Vol. I.

(iii) The Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

(iv) The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968.

FINANCIAL REGULATIONS AND SERVICE RULES

The following books are recommended :—

(1) Fundamental Rules and Supplementary Rules (A.G.P&Ts. Compilation or Chaudhary's Compilation).

(2) Central Civil Services Pension Rules, 1972.

(3) Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(4) Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(5) Central Civil Services (Leave) Rules 1972.

(6) Financial Regulations Part I (Revised Edition 1963).

GENERAL KNOWLEDGE

The paper will cover subjects of interest and importance at the present day. Questions will be set to test, knowledge of the broad and salient features of the Five Year Plans and Community Development Schemes, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligents understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, report etc.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 24th July 1978

RESOLUTION

No. F.16(5)-EV(B)/78.—It is announced for general information that accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds upto Rs. 25,000/- (inclusive of deposits and withdrawals) during the year 1978-79 will carry interest at the rate of 8% per annum and the interest rate of 7.5% per annum will apply to sums in excess of Rs. 25,000/-. These rates will be in force during the financial year beginning on 1-4-1978. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The General Provident Fund (Defence Services).
3. The Contributory Provident Fund (India).
4. The All India Services Provident Fund.
5. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
6. Other Miscellaneous Provident Fund (Defence).
7. The Defence Services Officers' Provident Fund.
8. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
9. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
10. The Contributory Provident Fund (Defence).
11. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.

2. Necessary instructions will be issued separately by the Ministry of Railways (Railway Board) concerning the rates of interest applicable during the year, in question, to the balance is the various Provident Funds under the control of that Ministry.

3. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. R. AGRWALA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 15th July 1978

RESOLUTION

No. 9/7/78-EP(AGRI.VI).—Taking into consideration the surplus production of bidi and other types of tobacco and the difficulty being experienced in marketing the same, the Government of India have decided to appoint an Expert Group to make a study of the problem in depth and to recommend for consideration of the Government measures

for regulating the production, and effecting improvement in the marketing of tobacco, other than virginia tobacco. The composition of the Expert Group shall be as follows :—

(i) *Chairman*

Shri P. K. Kaul, Additional Secretary, Deptt. of Commerce, Ministry of Commerce, Civil Supplies & Co-operation.

(ii) *Members*

(a) Dr. G. S. Kalkat, Additional Secy., (Production) Deptt. of Agriculture, Ministry of Agri. & Irrigation.

(b) Shri J. S. Uppal, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Deptt. of Rural Development, Ministry of Agriculture & Irrigation.

(c) Dr. W. G. Walunjkar, Director, Directorate of Tobacco Development, (Ministry of Agri. & Irrigation) 3, Eldams Road, Teynampet, Madras-18.

(d) Dr. G. J. Patel, Director & Project Co-ordinator Central Tobacco Research Institute, Anand, (Gujarat), representing Indian Council of Agricultural Research.

(e) Dr. (Mrs.) R. Thamarajakshi, Member-Secy., Agricultural Prices Commission, N. Delhi.

(f) One representative of the Banking Wing, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

(g) One representative to be nominated by the Reserve Bank of India.

(h) Shri C.T.A. Pillai, Additional Secy., (Excise) Department of Revenue, Ministry of Finance.

(i) Shri V. C. Pande, Joint Secretary, Ministry of Commerce, Civil Supplies & Co-operation, Deptt. of Commerce.

(j) The concerned officer dealing with Bidi Industry as may be nominated by the Ministry of Industry.

(k) One representative of the Planning Commission.

(l) One representative each to be nominated by the State Governments of Gujarat, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and West Bengal.

(iii) *Member Secretary*

Shri S. Chakravarthy, Chairman, Tobacco Board, Guntur.

2. The Chairman of the Expert Group will be free to co-opt such other members as he may find necessary.

3. The term of reference of the Expert Group will be as follows :—

(i) To make an assessment of the total domestic as well as export demand for bidi tobacco and other types of non-virginia tobacco during the sixth plan period and to recommend on that basis the production targets for different types of non-virginia tobacco and also the areas to be put under such tobacco in various States, year-wise during the Sixth Plan period.

(ii) To examine the present system of marketing and processing of bidi tobacco and to recommend measures which would improve the marketing system so as to ensure *inter-alia* that the growers receive a fair price for their produce and also receive payments in cash. In the same context, the Group will also examine the feasibility of introducing a system of standard grades either at the farm level or at the stage of marketing of processed bidi tobacco. It will further examine the possibility of introducing a system for regulating effectively the marketing of bidi tobacco either through auctions or otherwise.

(iii) To examine the credit requirements of the bidi industry for purchase of bidi tobacco and recommend an appropriate credit policy for the purpose.

(iv) To examine the cost structure of the bidi industry with a view to determining the capacity of the industry to pay for the bidi tobacco of different types, the price of the tendu leaves and the incidence of the excise duty. The Group will also recommend a representative whole-sale price for bidis which could form the basis for working out the fair price of bidi tobacco after considering the cost of production of bidi tobacco and incidence of cost of bidi tobacco in the manufacture of bidis.

4. It will be open to Expert Group to constitute one or more Sub-Group(s), as it may consider appropriate.

5. The Expert Group shall submit its report within a period of six months.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. C. PANDE
Jt. Secy

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 19th July 1978

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for North & South Tapti offi-shore area covering 881.50 sq. kms.

No. 12012/1/78-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 22-12-1977 in North & South Tapti offshore area measuring 881.50 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' (I) and A (II) annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 7,056/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each sq. kilometre or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence; and

(v) Rs. 300/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE A (I)

North Tapti Area—207·00 Sq. Kms.

The area covered by this Petroleum Exploration Licence falls in North Tapti area and lies between 20° 0′ 0″ South to 21° 5′ 50″ North and Longitude s 72° 17′ 9″ West to 72° 28′ 9″ East and is delineated on the map by the line joining the corner points at A B C and D and measures 207·00 sq. kms area. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distance in between them are as follows :—

	Bearing						Distance in Kms.	
	Latitudes			Longitudes				
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.		
Point A is at	21	5	50	72	17	9	Point A to B =19·25	Kms.
Point B is at	21	5	50	72	28	9	Point B to C =10·75	Kms.
Point C is at	21	0	0	72	28	9	Point C to D =19·75	Kms.
Point D is at	21	0	0	72	17	9	Point D to A =10·75	Kms.

2. Approximate Distance of farthest point from four prominent places on land is as follows :—

1. Bombay . . . . 237·5 Kms.
2. Diu . . . . 150·0 Kms.
3. Dahanu . . . 85·0 Kms.
4. Tarapur . . . . 140·0 Kms.

SCHEDULE A (II)

The area covered by this Petroleum exploration licence falls in South Tapti area and lies between latitudes 20° 22′ 00″ South to 20° 45′ 0″ North and longitudes 71° 50′ 00″ West to 72° 10′ 22″ East and is delineated on the map by the line Joining the corner points at E F G and H and measures 674·50 sq. kms area. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distance in between them are as follows :—

	Bearing						Distance in Kms.	
	Latitude			Longitude				
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.		
Point E is at	20	45	0	72	1	43	Point E to F =17·75	Kms.
Point F is at	20	39	45	72	10	22	Point F to G =38·00	Kms.
Point G is at	20	22	00	71	58	51	Point G to H =17·75	Kms.
Point H is at	20	27	30	71	50	00	Point H to E =38·00	Kms.

2. Approximate Distance of farthest point from four prominent places on land is as follows :—

1. Bombay . . . . 195·00 Kms.
2. Diu . . . . 110·00 Kms.
3. Daman . . . . 85·00 Kms.
4. Tarapur . . . . 105·00 Kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for North and South Taphi (offshore)

Area Covering 881·50 sq. kms.

Month and Year

A—Crude Oil

Total No. of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

B—Casing head condensate

Total number of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 & 3	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

I, Shri ..... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in evey particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

S. M. Y. NADEEM
Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 19th July 1978

No. 6/3/75-RD.—Para 2, para 3, para 4(f), para 6(ii) and para 6(iii) of the "Transport Subsidy Scheme, 1971" published under Notification No. F.6(26)/71-IC dated the 23rd July, 1971, as amended vide Notification No. 6(26)/71-IC dated the 28th February, 1974, stand further amended as under :—

"2. Commencement and duration : It comes into effect from 15-7-1971, for selected areas (A), with effect from 24-8-1973 for selected areas (B), with effect from 1-12-1976 for selected areas (C) and with effect from 5-12-1977 for selected areas (D) and will remain in operation till 31-3-1979".

"3. It is applicable to all industrial units (barring plantations, refineries and and power generating units) both in the public and the private sectors, irrespetcive of their size in the selected areas (A), (B), (C) and (D)".

"4.(f) The Selected Areas (A) means the State of Jammu & Kashmir and the North-Eastern region comprising the States of Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram, the Selected Areas (B) means the State of Himachal Pradesh and the Hilly Areas of Uttar Pradesh State comprising the districts of Dehradun, Nainital, Almora, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Pithoragarh, Uttar Kashi and Chamoli; and Selected Areas (C) means the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep; and the Selected Areas (D) means the State of Sikkim".

"6(ii) Industrial units will not be eligible for the transport subsidy for internal movement of raw materials and finished goods within the State of Jammu & Kashmir, the North-Eashtern region, the State of Himachal Pradesh, the hilly areas of Uttar Pradesh, the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep and the State of Sikkim".

"6(iii) In the case of Jammu & Kashmir, transport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit and the rail-head of Jammu or Pathankot, whichever is nearer.

In the case of Himachal Pradesh, the transport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit in the State and the nearest rail head viz. (i) Pathankot, (ii) Kiratpur Sahib, (iii) Nangal, (iv) Kalka, (v) Ghanauli, (vi) Yamuna Nagar, (vii) Barara, and (viii) Hoshiarpur.

In the case of hilly areas of Uttar Pradesh State, the transport subsidy will be given on the transport costs between the location of the industrial unit and the nearest rail head viz. (i) Dehradun, (ii) Rishikesh, (iii) Moradabad, (iv) Bareilly, (v) Kotdwara, (vi) Shahjahanpur and (vii) Rampur".

2. The following are added as paras 6(v) and 6(vi) and the existing paras 6(v) to 6(xvi) are correspondingly renumbered as paras 6(vii) to 6(xviii) :—

"6(v) In the case of Andaman & Nicobar Islands, the transport subsidy will be given on transport costs by sea and and road between Madras Port and the location of the industrial unit in the Union Territory. In the case of Lakshadweep, the transport subsidy will be given on transport costs by sea and road between Cochin Port and the location of the industrial unit in the Union Territory. If any other port on the mainland is used, for the purpose of transport subsidy, the transport costs will be taken what the industrial unit would have incurred had Madras or Cochin Port, as the case may be, been used, or the actual transport costs, whichever are less".

"6(vi) In the case of Sikkim, the transport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit in the State and the rail head of Siliguri".

3. The existing para 6(v), renumbered as para 6(vii) is amended as under :—

"6(vii) Freight charges for movement by road/sea will be determined on the basis of transport/transhipment rates fixed by the Central Government/State Government/Union Territory Administration concerned from time to time or the actual freight paid, whichever is less".

4. Para 6(ix) which has been renumbered as para 6(xi) is amended as under :—

"6(xi) Transport subsidy will also cover 50 per cent of the transport charges for movement of steel from Gauhati Stockyard of M/s. Hindustan Steel Limited to the site of the Industrial Units in the North-Eastern region and for movement of industrial raw materials from the State Corporation's depots situated in the hill districts of Uttar Pradesh to the sites of the industrial units located in the hill districts of the State".

S. J. COELHO
Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 19th July 1978

No. F. 12-28/78-P.N-II.—The following have been nominated by the Government of India as Members to fill up six vacancies in the membership of the Indian Council of Social Science Research for three years ending on 31st March, 1981 :—

(1) Dr. M. S. Swaminathan,
Director General,
Indian Council of Agricultural Research,
Krishi Bhawan, New Delhi

(2) Dr. D. M. Nanjundappa,
Economic Adviser & Special Secretary to the Government of Karnataka,
Planning Department, Vidhan Soudha,
Bangalore-560001.

(3) Prof. Mrinal Datta Chaudhuri,
Head of the Department of Economics,
Delhi University,
Delhi-7.

(4) Prof. A. R. Kulkarni,
Prof. & Head, Department of History,
University of Poona,
Pune-411007.

(5) Prof. Ramkrishna Mukherjee,
Distinguished Scientist,
Indian Statistical Institute,
203, Barrackpore Trunk Road,
Calcutta-700035.

(6) Prof. S. Maqbul Ahmad,
Professor of West Asian Studies,
Aligarh Muslim University,
Aligarh.

D. SENGUPTA
Under Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 15th July 1978

RESOLUTION

No. N—13016/1/77-PS.—At present there are eight Rural Housing Wings in the country situated at Bangalore, Chandigarh, Howarh, Delhi, Vallabh Vidyanagar, Srinagar, Jodhpur and Trivandrum. The Govt. of India have been considering for some time the question of setting up more such rural housing wings in different parts of the country. It has been decided to establish, with immediate effect, a Rural Housing Wing at Varanasi.

2. The Rural Housing Wing will function under the control and direction of the National Buildings Organisation who will provide them financial assistance in the form of grants-in-aid.

The functions of the Rural Housing Wing will be :—

(i) To promote research and use of local building materials and construction techniques and designing of village houses.

(ii) To propagate the use of improved materials and techniques.

(iii) To construct clusters of demonstration houses alongwith environmental improvement in selected villages.

(iv) To train and orient the technical personnel employed on planning and execution of projects under the village housing project schemes.

(v) To carry out any other activity connected with Rural housing as may be decided from time to time.

3. The Rural Housing Wing, Varanasi will be situated in the Banaras Hindu University, Varanasi.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to :—

1. Director, NBO (25 spare copies).
2. Secretary, Planning Commission, New Delhi.
3. Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Varanasi.
4. Chief Secretary to the Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.

N. S. L. RAO
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978